



21 January, 2026

<b>The Manager-Listing Department</b> National Stock Exchange of India Limited, 'Exchange Plaza', C-1, Block -G Bandra Kurla Complex, Bandra -East Mumbai-400051	<b>Listing Department</b> BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers 25 <sup>th</sup> Floor, Dalal Street Mumbai- 400001
--	---

**Name of Company : PIL ITALICA LIFESTYLE LIMITED**

Sub : Disclosure under Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

Ref : Scrip Code No.: PILITA/ 500327

Dear Sir / Madam,

In terms of Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 find enclosed the newspaper extract of the Unaudited Financial results of the Company for the Quarter ended on 31.12.2025 approved in the Board Meeting held on 20.01.2026 and published in Free Press Journal (English Daily), Navshakti (Marathi) and Dainik Pukar (Hindi) on 21.01.2026.

The same is available on the website of the Company i.e. [www.italica.com](http://www.italica.com)

Kindly take the above on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For PIL ITALICA LIFESTYLE LIMITED**


Narendra Bhanawat  
(Whole Time Director)  
DIN : 00146824







मुंबई, बुधवार, दि. २१ जानेवारी २०२६



**ऑक्सिस बँक लिमिटेड (सीआयएन :एन५६११०जी११११११सीएन१०२७६१)**  
**कॉर्पोरेट कार्यालय** : ऑक्सिस हाउस, स्टुडनवर्ड असेसस गुरु, सी-२, उषा मजला, वाडिया इन्टरनॅल सेंटर, पांडुरंग बुकच मार्ग, वरली, मुंबई - ४०००२५.  
टेलिफोन : +९१-११ ८५१८३११११, www.axisbank.com

**स्थावर मिळकतीच्या विक्रीकरिता विक्री सूचना**

सिक्वियुटारियशेन अण्ड फायनान्सियल असेसस अण्ड एफोर्समेंट ऑफ सिक्वियुटी इंटरॅस्ट अंक्ट, २००२ सहवाचता सिक्वियुटी इंटरॅस्ट (एफोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८(६) अन्वये स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव विक्री सूचना.

सर्वसाामान्य जमता आणि विशेषतः कर्जदार म्हणजेच ज्येश्ठ लाहक्यासायन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जामिनदार/गहाणदार/मालक म्हणजेच श्री. नितीन प्रभावरती, श्री. प्रवीणकुमार प्रभावरती आणि श्रीम. चंद्रिका पाण प्रभावरती यांना युक्ति करण्यात येते की, खाली वर्णन केलेल्या स्थावर मालमत्ता अक्सिस बँक लिमिटेड म्हणजेच ताण धनको म्हणजेच **ऑक्सिस बँक लि.** कडे गहाण/प्रभाति आहेत, ज्यांचा प्रत्यक्ष कब्जा माननीय जिल्हा दंडाधिकारी, ठाणे ज्येष्ठ ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी निवृत्त केलेल्या माननीय वसुलीदार, मीरा-बाहेर रानी सर्वेक्षी अधिनियम अंतर्गत अक्सिस बँक लिमिटेडद्वारे दखल घेतलेल्या कब्जा १४ अंतर्गत म्हणजेच सिक्वियुटारियशेन अंक्ट. १७/२०२१ अन्वये घेतला आहे. त्यामधून प्राप्तित वसुलीदार, मीरा-बाहेर रानी खाली नमूद केलेल्या गहाण मिळकत/अन्य गहाण मत्तेच्या प्रत्यक्ष कब्जा अक्सिस बँक लिमिटेडच्या प्राधिकृत अधिकार्याकडे मरुद केला आहे. या मिळकतीची विक्री "जे जेजे आहे", "जे आहे सजे आहे", "जे काही आहे जेजे आहे" आणि "कोणत्याही आधाराविराया" नसून २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, ऑक्सिस बँक लिमिटेड म्हणजेच ताण धनकोचे उपरोक्त कर्जदार/हमीदार/गहाणदार/मालकाकडून सेजे असलेल्या रु. ७,४८,२२,१९१.३० (रु. सात सात कोटी अठरापन्ना लाख चवदाश्वी हजार पाचशे पन्नासपन्नास आणि तीन पैसे रु.११, २०११ रोजीच्या अधिक १९६,१२,२०११ पासून क्वारमुसतार लागू होणाऱ्या व्याजबंदाने पुढील व्यावसायिका वसुलीसाठी केेली जाईल.

विक्रीसाठी असलेल्या गहाण मिळकतीचे वर्णन, राखीव किंमत आणि अनामत रकम खालीलप्रमाणे आहे:

मिळकतीचे वर्णन	राखीव किंमत (रु. मध्ये)	इसारा अनामत रकम (रु.अ)
उपरोक्त कार्यालय "महानु ओळखण्या जाणाऱ्या, इमारत क्र. ए-१५ च्या पहिल्या मजल्यावरील गाळा/गोदाम क्र. १४, शेकरड नोक्याविरत २८६-७४, सी. वी. व्हिका अंतर्गत निवृत्तक, गाव बाव, तालुका मिरांबे, जिल्हा ठाणे, मोंगळी जिल्हा ठाणे (रुपये कोणातील लाख उरुनिवळत मिळवीत ठाणे, प्रमाणितवात वात आणि व्हिका पविष्ट ठाणे चोच्या हवित. एकाग्रपत्र हजत मात)	रु. १९,९१,०००/- (रुपये एक लाख ९९,९१,०००/-)	रु. १,९९,१००/- (रुपये एक लाख ९९,१००/-)

इस्पेडी आणि चोली सारर करणाराची सतीस आणि येड

मिळकतीचा तपराणी

ई-लिलावाची सतीस आणि येड

चोली बादीची रक्कम

ताण मालमत्तेच्या विभागाच्या क्तात उपलब्ध असलेल्या मिळकतीचा संदर्भात, कर्जदार/हमीदार/गहाणदार यांचे लाख कावण्याच्या क्तात १३ च्या उप-क्तात (८) मधील तलुकीकडे येण्यात येत आहे. विक्रीच्या प्रक्रियेचा अटी आणि शर्तीकरिता कृपया दिलेली लिंक <https://www.axisbank.com/auction-notices> आणि/किंवा <https://axisbank.auctiontiger.net> येथे दिलेल्या लिंकचा वापर घ्यावा. (वरील नमूद लिखाव असावी)

दिनांक : जाने ११, २०२६, ठिकाण : मुंबई

सही/ - प्राधिकृत अधिकारी, ऑक्सिस बँक लि.

## जाहीर सूचना

याद्वारे **सूचना** देण्यात येते की, आम्ही आमच्या अशिलांच्या सूचनेवरून, **वीसी आर. शाह** यांच्या यात याखाली लिहिलेल्या **परिशिष्टामध्ये** अधिक विशेषरित्या वर्णन केलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या संबंधातील चौकशी आणि पडताळणी करीत आहेत. ("मालमत्ता")

सर्व व्यक्ती / संस्था तसेच अन्य गोपटींबरोबर कोणतीही व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब, कंपनी, बँका, आणि/किंवा वित्तीय संस्था, गॅन-बँकिंग वित्तीय संस्था, न्यास, पेढी, व्यक्तींच्या समित्या किंवा व्यक्तीगत निकाय प्रस्थापित किंवा अ-प्रस्थापित, ऋणको, धनको आणि/किंवा अन्य कोणतेही प्राधिकरण यांना सदर मालमत्तांच्या किंवा त्यातील कोणत्याही भागाच्या संबंधातील विक्री, हस्तांतरण, अवलंबवत, मृत्युपत्रीत देणगी, समन्याय सुविधाधिकार, प्रतिज्ञा, भाडेपट्टा, पोट-भाडेपट्टा, अभिस्तरण, वाटप, धारणाधिकार, प्रवृत्ति वाद, एकाधिकार, प्रसवित्ता, अधिपत्या, अधिपत्यन, वारसा, मृत्युपत्रीत देणगी, उत्तराधिकार, बहिस्त, परिशक्षा, सुविधाधिकार, न्यास, भाडेदारी, पोट-भाडेदारी, समती नि परवानगी, काळजीवाहू तत्व, भोगवटा, कब्जा, कुटुंब व्यवस्था / तलाकड, कोणत्याही न्यायालयाच्या हुकुमनामा किंवा आदेश, करार / करारनामे, भागिदारी, हक्क विलेख अनामत करण्याचे ज्ञापन, गहाण, आकार, तारण, आणि/किंवा एखादे दायित्व आणि/किंवा एखादे लिखित आणि/किंवा एखादी व्यवस्था आणि/किंवा कोणतीही बांधिलकी किंवा अन्य काही असेल तर त्याद्वारे कोणतेही दावे, आक्षेप, अधिकार, हक्क, लाभ, हितसंबंध, शेअर आणि/किंवा मागणी असेल तर त्यांनी निमन्त्रवाक्षरीकरल्या या जाहीर सूचनेच्या जाहिरातीच्या तारखेपासून १४ (चौदा) दिवसांच्या आत त्यातील दस्तावेजी पुराव्यासह लिखित स्वरूपात ज्ञात होण्यासाठी कळविणे आवश्यक आहे. अन्यथा आमचे अशिल मालमत्तेमधील असे अधिकार, हक्क, लाभ, हितसंबंध, दावा, शेअर आणि/किंवा मागणी, जर काही अवसती तर, त्यांचा अधिपत्या, परिपत्या, अधिपत्यन आणि/किंवा परीपत्यन करण्यात आलेले आहे, असे समजण्यात येईल आणि सदर मालमत्तेच्या संबंधातील असे अधिकार, हक्क, लाभ, हितसंबंध, दावा, शेअर आणि/किंवा मागणी अस्तित्वात नाहीत असे समजण्यात येईल.

### यात यावर संबंधित केलेले परिशिष्ट

(मालमत्तेचे वर्णन)

जय लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, जी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत रितसर नोंदणीकृत आहे आणि जिचा नोंदणी क्र. एमएयुए/डब्ल्यूडी/एएमएसीजी/टीसी/१४४४, ७७-७८, दि. २४ जुलै, २०१७ असा आहे, यांनी जारी केलेल्या दि. २४ जुलै,२०१७ रोजीच्या शेअर प्रमाणपत्र क्र. ००८ अंतर्गत म्माविवट असलेल्या निमित्त क्र. ७७ ते ८० (दोन्हींच्या समावेशासह)च्या तल्लेकी रु. ५००/- (रुपये पाचशे फक्त) रुपयाचे पूर्णपणे भरणा केलेले १० (दहा) शेअर्स तसेच "मालकी तत्वावर" सदर निवासी सदनिका वापरण्याचा, ताब्यात ठेवण्याचा आणि भोगवटा करण्याचा विशेष हक्क, तसेच निवासी सदनिका म्हणजेच सदनिका क्र. ४०२, क्षेत्रकड १०१३ चौसष्ट फुट व्हिक्टअन क्षेत्र, ४था मजला, 'ए' विंग, 'जय लक्ष्मी' विल्डींग, सदर विल्डींग १७ वास्तू गांधी रोड, गावदेवी, मुंबई - ४०० ००७ येथील भूखंड क्र. ८० आणि सी एस क्र. ४७२ च्या जमिनीच्या त्या सर्व तुकड्यावर आणि भागावर उभेली आहे.

आज दिनांक २१ जानेवारी, २०२६

करौला



**LEXICON**  
**LAW PARTNERS**  
ADVOCATES & SOLICITORS

सही/-  
भागदार  
मुकुंड हाकस, चौथा मजला,  
५१, एम.जी. मार्ग,  
फोर्ट, मुंबई - ४००००१,  
ईमेल आयडी : [objections@lexiconlaw.in](mailto:objections@lexiconlaw.in)

नोंदणीकृत एडी / स्प्रीड पोस्ट, ऑफिसेशन, दस्ती द्रोरे

**ऋण वसुली न्यायाधिकरण क्र. १, मुंबई**

**वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,**

**२ रा मजला, एमटीएनए भवन, स्टॅंड रोड, कुलाबा मार्केट, कुलाबा, मुंबई-४००००५**

आर सी क्र. ३८/२०२२

पुढील तारीख : ०१.०१.२०२६

**कर्ज वसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, १९१३ सहवाचता आयकर अधिनियम, १९६१ मधील दुसऱ्या परिशिष्टातील नियम ४८ अन्वये स्थावर मालमत्तेच्या जमिनी अधिपत्र**

**बँक ऑफ बहारीन अंड कंटेनर वीएएससी**

... अजंदार (प्रमाणपत्र धारक)

विरुद्ध

मेसर्स अंकुर ड्रास फार्मा लि. आणि इ.

...प्रतिवादी (प्रमाणपत्र ऋणको)

प्रति,

सी डी क्रमांक २

श्री. पुर्णादत्त न

(प्रमाणपत्र ऋणको क्र.२)

३४०२, ३४वा मजला, बी विंग, ओबेरॉय स्काय हाईस्ट,

राखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी पश्चिम, मुंबई-४०००५३

आणि

बी/२०१, मिर् मिनार, वीरा देसाई रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई-४०००५३

आणि

एच बोर्ड, ३ एचएन, १६६, १६७, १६८ए,

बड्डी १७३२०५, हिमाचल प्रदेश

१. ज्याअर्थी माननीय पिठासीन अधिकार्याने रक्कम रुपये २२,६२,१६,०६२.४५/- (रुपये बाविस कोटी बाराह लाख शहाणपत्र हजार बासष्ट आणि पैसे पंचेचाळीस फक्त) तसेच दिनांक ११.०४.२०२२ पासून वसुली पर्यंत प्रतिवर्षी १३.५० % रोजीस देण्ड आणि पुढील व्याजबंद वसूल करणाऱ्यासाठी जारी केलेल्या दिनांक ११.०४.२०२२ रोजीच्या ओ. ए. क्रमांक १६३६ सन २०१६ मधील या न्यायाधीकरणाच्या वसुली प्रमाणपत्र क्रमांक ३८ सन २०२२ द्वारे प्रमाणपत्र ऋणको यांना न्यायनिर्णित केलेले होते आणि पिठासीन अधिकारी, ऋण वसुली न्यायाधिकरण क्रमांक १, मुंबई यांनी वसुली अधिकार्याला प्रमाणपत्र ऋणको कडून वसुली करणाऱ्यासाठी वसुलीचे ऋण आणि दिवाळखोरी अधिनियम १९१३ च्या वसुलीच्या कलम ११ (७) आणि (२२) अन्वये सदर प्रमाणपत्र पाठविलेले आहे.

२. निमन्त्रवाक्षरीकर्याने वरील प्रकरणी खाली नमूद केलेली मालमत्ता जप्त केलेली आहे आणि भार निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

३. आणामना याद्वारे पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही पद्धतीने खालील नमूद केलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरण, अभिहस्तांतरण, त्रयस्था पक्षकार हितसंबंध निर्मिती, कब्जातील सहभाग, भार निर्मिती किंवा खालील नमूद केलेल्या मालमत्तेचा व्यवहार करण्यापासून रोषित आणि प्रतिबंधित करण्यात येत आहे आणि त्या सर्व व्यक्तींना अशा प्रकारचे हस्तांतरण, अन्त्यसंक्रामण, कब्जा किंवा भार इत्यादीनुसार कोणताही लाभ घेण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात येत आहे.

**परिचित मालमत्तांचे तपशील**

१. फ्लॅट क्र. २०१, दुसरा मजला, न्यू मिर् मिनार सीएचएस, वीरा देसाई रोड, आंबिवली, अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०००५३.

२. फ्लॅट क्र. २०४, बी, न्यू मिर् मिनार अपार्टमेंट सोसायटी, वीरा देसाई रोड, आंबिवली, अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०००५३.

माझ्या हस्ते आणि या न्यायाधीकरणाच्या शिक्ष्यामिशी आज दिनांक १३ जानेवारी, २०२६ रोजी दिला.

सही/-  
(वर्तुद कुमार सिन्हा)  
वसुली अधिकारी,  
डीआरटी - १, मुंबई


प्रति,

१. संबंधित सोसायटी

२. बीएमसी प्राधिकारी /स्थानिक स्थापन निकाय/ तलाठी

३. संबंधित उप निबंधक - सीएचबीक नियमानुसार संबंधित उप निबंधकाच्या अभिलेखामध्ये अभिलिखित केलेल्या खालील नमूद केलेल्या मालमत्तेचा प्रभार घेईल.

## प्रत्यक्ष कब्जा सूचना



**शाखा कार्यालय** : आयसीआयसीआय बँक लि., कार्यालय क्रमांक २०१-बी, २रा मजला, रोड क्र. १, प्लॉट क्र. बी-३, वायफक आवटी पार्क, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (पश्चिम) - ४०००४८.

आयसीआयसीआय बँकेचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी सिक्वियुटारियशेन अंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेसस अंड एफोर्समेंट ऑफ सिक्वियुटी इंटरॅस्ट अंक्ट, २००२ आणि कलम १३(१२) सहवाचता सिक्वियुटी इंटरॅस्ट (एफोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मागणी सूचना जारी करून खालील नमूद कर्जदारां ससुलीत नमूद रकमेची सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ८(६) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.


विशेषतः कर्जदार आणि सर्वसाामान्य जनतेस याद्वारे इशारा देण्यात येतो की, सदर मिळकतींशी कोणताही व्यवहार करू नये आणि सदर मिळकतींशी करण्यात आलेला कोणताही व्यवहार हा आयसीआयसीआय बँक लिमिटेडच्या भाराअंतर्गत राहिल.

अ. क्र.	कर्जदारीचे नाव/ कर्ज खाते क्रमांक	मिळकतीचे वर्णन/ प्रत्यक्ष कब्जाची तारीख	मागणी सूचनेची तारीख/ मागणी सूचनेतील रक्कम (रु.)	शाखेचे नाव
१.	सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.	सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.	सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.	सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.
२.	सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.	सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.	सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.	सिक्वियुटारियशेन अंड एफोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर अर्बच्या नियम १३(४) अंतर्गत सहवाचता सदर रकमच्या नियम ८ अन्वये खालील नमूद तारखेवर घेतला आहे.

वरील नमूद कर्जदार/हमीदारास याद्वारे ३० दिवसांत रकमेचा भरणा करण्यास सूचना देण्यात येत आहे. अन्यथा गहाण मिळकती सिक्वियुटी इंटरॅस्ट (एफोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८ आणि १ च्या तलुदी अंतर्गत सदर सूचना प्रकलनाच्या ३० दिवसांच्या समाप्तीनंतर विकण्यात येतील.

दिनांक : जाने ११, २०२६  
स्थळ : वितर व सखाळे

सार प्राधिकृत अधिकारी,  
आयसीआयसीआय बँक लि. कारिता

PIL ITALICA LIFESTYLE LIMITED									
Registered Office :- Kodyat War, Village : Sisaram, Udaipur (Rajasthan) - 313 031; Phone: 0294-2432272 E-mail: info@italica.com; Website: www.italica.com; CIN :- L25027RJ1992PLC000676									
Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2025									
		Quarter Ended			Nine Months Ended			Year Ended	
		31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025	31-03-2025	
Sr. No.	Particulars	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Revenue	2992.57	2776.77	3067.70	8173.69	7383.71	10083.18		
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	112.54	135.98	171.17	455.09	511.88	700.92		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	112.54	135.98	171.17	455.09	511.88	700.92		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	71.98	114.88	156.43	341.38	417.07	524.26		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	71.98	114.88	156.43	341.38	417.07	524.26		
6	Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2350.00	2350.00	2350.00	2350.00	2350.00	2350.00		
8	Earnings Per Share (of INR. 1/- each)	Basic	0.03	0.04	0.07	0.14	0.18	0.22	
	Diluted	0.03	0.04	0.07	0.14	0.18	0.22		
<b>Note :</b>									
1. The above results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 20.01.2026. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financials for the quarter and nine months ended December 31, 2025 as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015.									
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results is available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website i.e. www.italica.com									
									
For PIL Italica Lifestyle Limited Managing Director (DIN: 00185336)									
Place : Udaipur Date : 20-01-2026									



**अतिशय लिमिटेड**

सीआयएन : एन७०१०१एमएच२०००पीएलसी१९२६१३

नोंदणीकृत कार्यालय : १४-१५, वटाव विल्डिंग, ४४ बँक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई (महा.) - ४०० ००१

मुख्य कार्यालय : प्लॉट क्र. ३६, झोन्-१, एम.जी. नगर, भोपाळ (म.प्र.) - ४६२०११.

दूर : ०२२ ४१७३९०६१/८२, ०७५५ २५५८२८३ | फॅक्स: ०७५५ ४२२९१६५ | वेबसाईट : www.atishay.com

**३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी संपलेली तिमाही आणि नऊ महिन्यांकरिता अलेखापरिक्लित अलिप्त वित्तीय निष्कर्षांचा उतारा**

[ रु. इंधिया सोडून रु. लाखात ]

अ. क्र.	तपशील	संपलेल्या तिमाहीसाठी	संपलेल्या नऊ महिन्यांकरिता	संपलेल्या वर्षासाठी			
		३१-डिसेंबर-२५	३०-सप्टेंबर-२५	३१-डिसेंबर-२४	३१-डिसेंबर-२५	३१-डिसेंबर-२४	३१-मार्च-२५
		अलेखापरिक्लित	अलेखापरिक्लित	अलेखापरिक्लित	अलेखापरिक्लित	अलेखापरिक्लित	लेखापरिक्लित
१	एकूण उत्पन्न	१,५९२.५६	१,८४२.०४	१,५७२.७६	४,७७७.३७	३,९८२.८३	५,३२५.६४
२	करावाधीसाठी निव्वळ नफा/(तोटा) (काला अभ्यासात्मक बाबींप्रती)	२५१.०६	२४९.४३	२८५.४१	७३९.४८	६५१.२९	९५७.८९
३	करावाधीसाठी करपूर्व निव्वळ नफा/(तोटा) (अवघाटात्मक बाबींनंतर)	२५१.०६	२४९.४३	२८५.४१	७३९.४८	६५१.२९	९५७.८९
४	करावाधीसाठी करोत्तर निव्वळ नफा/(तोटा)	१८८.६३	१८३.१६	२११.१७	५३६.६९	४६४.०५	७००.५२
५	करावाधीसाठी एकूण सर्वसाामान्यक उत्पन्न (कालावाधीसाठी (करोत्तर) नफा/(तोटा) आणि इतर सर्वसाामान्यक उत्पन्न (करोत्तर) प्ररून)	१८९.६०	१८४.१३	२१२.१८	५३९.६	४६९.७७	७०४.४१
६	भरणा झालेले समगण भांडवल (दर्शनी मूल्य रु. १०/- प्रति समगण)	१,०९८.१३	१,०९८.१३	१,०९८.१३	१,०९८.१३	१,०९८.१३	१,०९८.१३
७	मागील वर्षाच्या लेखापरिक्लित तालेबंदाने दर्शविल्या प्रमाणे राखीव (पुनर्व्यवस्थित राखीव रागून)						३,७६२.००
८	प्रति समगण प्राप्ती (प्रत्येकी रु. १०/- च्या ) (अखंडित आणि खंडित प्रवर्तनासाठी)						
१.	मूलभूत	१.७२	१.६७	१.९३	४.८९	४.२३	६.३८
२.	संय्त्िकृत	१.७०	१.६५	१.९०	४.८४	४.२८	६.३१

१. ३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांकरिता वरील अलिप्त अलेखापरिक्लित वित्तीय निष्कर्ष ११ जानेवारी, २०२६ रोजी झालेल्या व्याख्या संबंधित ठेकाकोषाचे लेखापरीक्षा समितीने पुनर्विचिक्लित केले आणि संचालक मंडळाने मंजूर केले. कंपनीच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांनी ३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांकरिताचे वरील अलिप्त वित्तीय निष्कर्ष पुनर्विचिक्लित केले.

२. वरील माहिती म्हणजे सेबी (लिस्टिंग) ऑब्लिगेशन अंड डिस्क्लोजर (रिक्वायरमेंट्स) रुल्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजकडे सादर केलेल्या ३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी संपलेली तिमाही आणि नऊ महिन्यांच्या वित्तीय निष्कर्षांच्या तपशीलवार विवरणाचा एक उतारा आहे. सदर निष्कर्षांचे संपूर्ण विवरण कंपनीची वेबसाईट <https://atishay.com/regulation-46/> आणि स्टॉ



## संक्षिप्त समाचार

## उदयपुर जिले में पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन पूर्ण, 20 पंचायत समितियां गठित

**उदयपुर (पुकार)।** राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में पंचायत राज संस्थाओं के वाई पुनर्गठन एवं नवसृजन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि जिला परिषद एवं समस्त पंचायत समितियों के वार्डों का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी 2026 को कर दिया गया है। पूर्व में उदयपुर जिले में कुल 22 पंचायत समितियां थीं, जिनमें से नवीन जिला सर्लुंबर के गठन के बाद 6 पंचायत समितियां सर्लुंबर जिले में सम्मिलित हो गई थीं। इसके पश्चात उदयपुर जिले में पंचायत समितियों की संख्या 16 रह गई थी। अब नए सिरे से नाई, कल्याणपुर, सुलाव एवं ओगणा पंचायत समितियों के गठन के बाद उदयपुर जिले में पंचायत समितियों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है। वार्डों के अंतिम प्रकाशन के उपरांत उदयपुर जिले में पंचायत राज संस्थाओं की नवीनतम स्थिति के अनुसार जिले में 1 जिला परिषद, 20 पंचायत समितियां एवं 590 ग्राम पंचायतें कार्यरत रहेंगी। इन संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद के 47 वार्ड, पंचायत समितियों के 318 वाई तथा ग्राम पंचायतों के 4948 वाई निर्धारित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि वाई पुनर्गठन एवं अंतिम प्रकाशन की जानकारी संबंधित उपखंड कार्यालयों, पंचायत समितियों एवं तहसील एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों में देखी जा सकती है।

### निगम आयुक्त की अध्यक्षता में टाउन वैंडिंग कमेटी बैठक



**उदयपुर (पुकार)।** नगर निगम द्वारा मंगलवार को टाउन वैंडिंग समिति टीवीसी की बैठक नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में टाउन वैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में राजस्व अधिकारी नीतीशा भटनागर, स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, जिला परियोजना अधिकारी शैल सिंह सोलंकी, उपनगर नियोजक विजय डामोर एवं निर्वाचित टाउन वैंडिंग सदस्य उपस्थित रहे। जिला परियोजना अधिकारी शैल सिंह सोलंकी ने बताया कि बैठक में एजेंडा अनुसार टाउन वैंडिंग से संबंधित सर्वे एवं टाउन वैंडिंग प्लान पर अब तक की गई कार्यवाही से समिति को अवगत कराया गया साथ ही पूर्व में किए गए सर्वे में चिन्हित पथ विक्रेताओं को टाउन वैंडिंग कमेटी द्वारा अप्रूव्ड टाउन प्लान अनुसार व्यवस्थित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। मंगलवार को नगर निगम में आयोजित टाउन वैंडिंग कमेटी बैठक में वेंडरों को व्यवस्थित करने के विषय को लेकर अहम निर्णय लिए गए। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने सर्वप्रथम चार वैंडिंग जोन सहली मार्ग, सुखाडिया सकल,समोर बाग, रानी रोड को व्यवस्थित करते हुए अन्य सभी वैंडिंग जोन में भी पथ विक्रेताओं को स्थानांतरित करने हेतु निर्देश जारी किए। बैठक समिति सदस्य मनोज साहू ने कहा कि निगम द्वारा पूर्व में कर्वाए गए सर्वे के बाद बहुत सारे नए पथ विक्रेता आ गए हैं जिनको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। इस पर निगम आयुक्त खन्ना ने निर्देश दिए की पूर्व में किए गए सर्वे में चिन्हित पथ विक्रेताओं को प्राथमिक तौर पर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जाएगी। जिला परियोजना अधिकारी को उक्त स्थानांतरण कार्य शीघ्र आरम्भ करने की निर्देश दिए है।

### नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आतिशबाजी



**उदयपुर (पुकार)।** भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत नितिन नबीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्बिरोध निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में मंगलवार सायं सुरजपोल चौराहा स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिमा स्थल पर भव्य आतिशबाजी की गई। जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्बंधिष चयन संगठन की एकजुटता अग्रशासन और कार्यकर्ताओं के विश्वास का प्रतीक है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ अलका मुंदडा भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व अध्यक्ष मांगीलाल जोशी, रवींद्र श्रीमाली, दिनेश भट्ट, पूर्व महापौर युधिष्ठिर कुमावत, रजनी डांगी, चंद्रसिंह कोमरी, गोविंद टाक, महामंत्री पासस सिंघवी, देवीलाल सालवी, डॉ.पंकज बोराणा, जिला उपाध्यक्ष करणसिंह शकावत मंडल, दिग्विजय श्रीमाली,जगदीश शर्मा,अध्यक्ष विजय आहुजा आदि मौजूद थे।

## गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर अनार से भरा ट्रक पलटा, बिखरे अनार

**उदयपुर (पुकार)।** गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के लोहारचा बड़ी पुलिया के पास मोलवार सुबह एक बड़ा हादसा होे-डोते लग गया। पिंडवाड़ा की ओर से उदयपुर मंडी जा रहा अनार से भरा ट्रक तेज रफ़्तार के चलते अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर पर पट्ट गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि ट्रक में भरे अनार हाईवे पर बिखर गए। ट्रक पलटने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आसपास के लोगों ने सड़क पर बिखरे अनार लिए। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा बेकरिया पुलिस एवं हाईवे टीम को दी गई। सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस का जवाना मौक़े पर पहुंचा। पुलिस द्वारा मौके की स्थिति को नियंत्रित कर ट्रक को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। गनीमत यह रही कि ट्रक पलटते समय सड़क किनारे कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

## उदयपुर को वाय श्रेणी का दर्जा देने को लेकर सांसद डॉ रावत ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र

**उदयपुर (पुकार)।** सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत ने उदयपुर शहर को 'वाय श्रेणी' में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण को पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सांसद डॉ मन्नालाल रावत द्वारा जिला परिषद सभागार में रखी जनसुनवाई में निजी सहायक संवर्ग महासंघ, जिला कलक्टर कार्यालय के लिपिक संवर्ग, राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ कर्मचारी संघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने यह मांग रखी थी। सांसद डॉ रावत ने पत्र में बताया कि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर शहर वर्तमान में जेड श्रेणी में वर्गीकृत है। उदयपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में हुए विस्तार से वर्तमान में निगम में कुल 80 वाडों का गठन किया गया है, जिसकी कुल जनसंख्या 5.73,585 है। यह जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर है। उक्त जनगणना के 14 वर्षों पश्चात् उदयपुर नगर निगम क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या 07 लाख से भी अधिक हो चुकी है। वर्तमान में उदयपुर शहर के जेड श्रेणी में वर्गीकृत होने से यहां के केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्मिकों को 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता (एचआरए) ही प्राप्त हो रहा है।

### जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

**उदयपुर (पुकार)।** उदयपुर शहर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाय जाने के गंभीर मामले को लेकर मंगलवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम, उदयपुर की ओर से अंजुमन सदर जनाब मुख्तार कुरैशी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर, उदयपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से अंजुमन सेक्रेट्री मुस्तफा शेख ने प्रशासन को ध्यान सेअ अत्यंत गंभीर और द्वेषपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि मतदान जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से किसी विशेष समुदाय को वंचित करना न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा प्रहार है। इस अवसर पर शहाजद हुसैन, तनवीर चिशती, अख्तर हुसैन, मोहम्मद अय्यूब, फिरोज अब्बासी, मोहम्मद अनीस, आदिल शेख, मोहम्मद अशफाक सहित अंजुमन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

## खाद्य प्रसंस्करण से कृषि की हर चिंता का समाधान संभव :चिराग पासवान

## बलीचा मंडी स्थित फल मंडी में खुली अत्याधुनिक सुविधा, मसालों की ग्राइंडिंग यूनिट भी होगी संचालित

**उदयपुर (पुकार)।** केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को बलीचा उदयपुर में 3 करोड़ 44 लाख की लागत से निर्मित राजस्थान के पहले जामुन, सीताफल व आंवला प्रोसेसिंग इक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया।

कृषि उपज मंडी समिति परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी प्रसंस्करण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे खाद्य पदार्थों व उत्पादों की पहचान मजबूती से बना सके इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि से जुड़ी हमारी जितनी भी चिंताएं हैं उनका समाधान संभव है। पासवान ने कहा कि प्रसंस्करण से किसानों की आर्थिक मदद के साथ किसानों के पास होलैंडिंग कैपेसिटी



आती है और उचित दाम मिलने पर वे अपने उत्पाद को बाजार में ले जा सकते हैं और गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। इसी सोच के साथ केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) जैसी योजनाएं शुरू की हैं।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले ताकि देशभर में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को हम स्थापित कर सकें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस इनक्यूबेशन सेंटर का लाभ लें। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तभी साकार होगा जब देश का हर राज्य, हर जिला, हर पंचायत, हर गांव विकसित होगा।

# प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

**दुनिया के हर डाइविंग टेबल तक कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ पहुंचे**

**दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री की प्रेस वार्त**

**उदयपुर (पुकार)।** केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट लक्ष्य भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है। पासवान

मंगलवार को होटल मैरियट में आयोजित मंत्रालय के हितधारकों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय देश में खाद्यान्न

की भारी कमी हुआ करती थी, लेकिन आज भारत खाद्यान्न सरलस देश बन चुका है। इसका पूरा श्रेय देश के अन्नदाता किसानों को जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण और गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियां सामने हैं, जिनका समाधान जरूरी है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसान की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में देश में लगभग 13 प्रतिशत रोजगार इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले जितना ध्यान उत्पादन पर दिया गया, उतना प्रसंस्करण पर नहीं दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में आधारभूत बदलाव किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

पासवान ने कहा कि पीएम एफएमई योजना के माध्यम से युवा न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं और

सरकार इस उद्योग के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि चिंतन शिविर में देश के 30 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां विभिन्न राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस और सुझावों पर मंथन किया गया। सरकार का लक्ष्य प्रसंस्करण का प्रतिशत 12 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक ले जाना है। पासवान ने स्पष्ट किया कि प्रसंस्करण का अर्थ गुणवत्ता में सुधार करना है, यह सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। आमजन को इस विषय में जागरूक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर नीति में बदलाव करने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। वहीं उदयपुर की प्रशंसा करते हुए पासवान ने कहा कि उदयपुर अत्यंत सुंदर शहर है, यहां आकर सुकून और शांति की अनुभूति हुई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष वर्ल्ड फूड इंडिया के क्षेत्रीय संस्करण देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल तक कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ पहुंचे।

### आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी (ईपी) लैब का शुभारंभ

## हृदय की अनियमित धड़कन के इलाज को मिलेगी नई दिशा

**धीरज वैष्णव**

**उदयपुर (पुकार)।** रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उदयपुर के कार्डियोलॉजी विभाग स्थित कैथलैब में मंगलवार को अत्याधुनिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब (ईपी स्टडी यूनिट) का उद्घाटन हुआ। इस यूनिट में नवीनतम 2डी और 3डी मैपिंग तकनीक का प्रयोग होता है और 3डी तकनीक वाली यह मशीन सम्पूर्ण दक्षिणी राजस्थान में पहली मशीन है। इस नई सुविधा के माध्यम से उन मरीजों का सटीक परीक्षण एवं उपचार संभव हो सकेगा, जिनमें हृदय की धड़कन असामान्य रूप से तेज, धीमी अथवा अनियमित रहती है। ईपी स्टडी तकनीक से हृदय की विद्युत प्रणाली की गहराई से जांच कर प्रभावी उपचार किया जा सकेगा, जिससे गंभीर हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।

शुभारंभ करते हुए रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. विपिन माथुर ने कहा कि यह सुविधा दक्षिण राजस्थान के हृदय रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे मरीजों को अब उन्नत उपचार के लिए बड़े महानगरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। डॉ माथुर ने बताया कि ये सुविधा डीएमएफटी फण्ड से प्राप्त राशि 3.5 करोड़ रुपये से शुरू की गई है। उन्होंने महाविद्यालय परिवार की ओर से जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित सभी नए प्रतिनिधियों का हार्दिक आभार



व्यक्त किया। कार्यक्रम में कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ आचार्य डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने ईपी स्टडी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह तकनीक हार्ट रिदम डिसऑर्डर के इलाज में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी।

उन्होंने बताया कि ईपी स्टडी एक विशेष जांच प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हृदय की विद्युत गतिविधियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है इसके आधार पर असामान्य धड़कनों के सटीक स्थान की पहचान की जाती है इसके पश्चात आरएफ एबलेशन तकनीक द्वारा उस असामान्य विद्युत मार्ग को नियंत्रित किया जाता है जिससे मरीज को स्थाई राहत मिलती है! 2डी और 3डी मैपिंग तकनीक के प्रयोग से हृदय की त्रि आयामी

संरचना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिससे प्रक्रिया अधिक सटीक, सुरक्षित, और कम समय में पूर्ण होती है।

इस आधुनिक तकनीक से ओपन सर्जरी की आवश्यकता नहीं करती और मरीज शीघ्र स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट सकता है। उद्घाटन समारोह में डॉ. अर्चना गोखरू [सह आचार्य], डॉ. दीपक आग्नेटा [सह आचार्य], डॉ रविराज [सहायक आचार्य] एसएसबी मेट्रन शारदा गरासिया, कैथलैब प्रभारी राजेश नायर, वरिष्ठ टीए लोहित दीक्षित, अनिल जीनगर, राजेन्द्र सिंह मीणा (वरिष्ठ रेडियोग्राफर) सहित कार्डियोलॉजी विभाग के चिकित्सक, तकनीकी स्टाफ एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहे।

## विकसित भारत 2047 के विज़न में वीबी-जी राम-जी

## योजना की अहम भूमिका होगी : डॉ. रावत

**उदयपुर (पुकार)।** भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) शहर जिला द्वारा मंगलवार को वीबी-जी राम-जी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका - ग्रामीण) योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भा.ज.पा. शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने योजना के उद्देश्य और महत्व पर विस्तार से जानकारी दी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद से पारित वीबी-जी राम-जी विधेयक का हिस्सा है, जो 2025 तक ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। यह योजना मनरेगा का उन्नत, पाददर्शी और परिणामोन्मुखी विकल्प है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण युवाओं को स्थायी रोजगार और सशक्त आजीविका के अवसर प्रदान करना है। सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विकसित भारत 2047 के विज़न में वीबी-जी राम-जी योजना की अहम भूमिका होगी। यह योजना



न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि किसानों और श्रमिकों की आय में भी वृद्धि करेगी। साथ ही, यह गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिससे समग्र विकास हो सके।

भा.ज.पा. शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने इस योजना को लेकर विश्वस्य हुए कहा कि यह योजना सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण और आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने विपदलों को चुनौती देते हुए कहा कि वीबी-जी राम-जी योजना के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों का

तथ्यों और जमीनी सच्चाई के आधार पर खंडन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन भा.ज.पा. शहर जिला मीडिया प्रभारी डॉ. सीमा चंपावत ने किया। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बताया कि वीबी-जी राम-जी योजना के तहत आमजन तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए घर-घर संपर्क, किसान चौपाल, पंचायत स्तर पर संवाद, रैलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भा.ज.पा. महामंत्री देवीलाल सालवी, डॉ. पंकज बोराणा, सह संयोजक दुदरामजी डांगी और बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने योजना से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक और विस्तृत उत्तर वक्ताओं द्वारा दिया गया।

**लाभार्थियों ने साझा की अपनी**

**सफलता की कहानी**

पीएम-एफएमई योजना के लाभार्थियों की ओर से मिलेट्स, आइस िम, जामुन बाइट्स सहित अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान च्चो च्योर नेचुरल आइस िमष के दिव्यांश ने बताया कि उन्होंने योजना के तहत 17 लाख का लोन लिया था, जिसमें 7 लाख की सब्सिडी मिली। इस राशि से उन्होंने मशीन लगाई। आज उनकी बनावी आइस िम एक स्थापित ब्रांड बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री पासवान ने कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर के विभिन्न इकाइयों का अवलोकन भी किया।

**केंद्रीय मंत्री ने लगाया एक पेड़**

**मां के नाम**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री पासवान ने इनक्यूबेशन सेंटर परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, समाजसेवी गजपाल सिंह राठौड़, पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सचिव अविनाश जोशी, संयुक्त सचिव देवेश देवत, उदयपुर अनाज मंडी अध्यक्ष राजकुमार चितौड़ी, फल सब्जी व्यापार संघ अध्यक्ष मुकेश खिलवानी सहित अन्य कृषक, व्यापारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

### विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की संगठनात्मक बैठक सम्पन्न

**उदयपुर (पुकार)।** विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ पूर्वी देहात जिला उदयपुर की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक जिलाध्यक्ष सुनील पालीवाल की अध्यक्षता



में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में आगामी वर्ष में आयोजित किए जाने वाले सामाजिक समरसता और संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इसके अलावा, कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श हुआ। सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने समाज के युवाओं को अधिक से अधिक संगठन से जोड़ने और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से संचरन कराने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष सुनील पालीवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवा शक्ति के माध्यम से समाज सेवा और संगठन को नई दिशा दी जा सकती है। बैठक में प्रमुख रूप से प्रियांश पालीवाल, जय पाठक, परीक्षित श्रीमाली, जयदीप नागाव, त्रिभुवन नागाव, राजू पालीवाल, जगदीश अग्नेती, रितिक जोशी सहित अन्य विप्र पदाधिकारी उपस्थित रहे।

### कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)

**राजकीय मुद्रणालय के पास, गुलाब बाग रोड, उदयपुर – 313001**  
Email: dcf.udprn.forest@rajasthan.gov.in Tel. no. & Fax no. 0294-2421962  
क्रमांक: – एफ ( ) स्टर / लेखा / 2025-26/412 दिनांक : 14-1-26

**खुली निविदा – सूचना संख्या 108 / 2025-26**

मण्डल अधीन रेंज कूक्वास का कार्यस्थल क्रमशः MPT 1 TINSARA 8 ADVANCE ACTION राशि 0.97 लाख, MPT 2 TINSARA 8 ADVANCE ACTION राशि 0.97 लाख ( Scheme - Creep) के निर्माण कार्यों हेतु ( AS PER G-SCHEDULE ) सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों, से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक: – 21.01.2026 तक खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जिसका विस्तृत विवरण वेब-साइट sppp.rajjasthan.gov.in; से व इस कार्यालय में देखा जा सकता है।

NIB No FOR2526A3480 (अजय चित्तौड़ा)  
UBN No FOR2526WSOB04855 उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)  
UBN No FOR2526WSOB04856 DIPR/C/958/2026

**OFFICE OF MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN**  
**MEDICARE RELIEF SOCIETY MAHARANA**  
**BHUPAL GOVERNMENT HOSPITAL, UDAIPUR**  
No./RMRS/2025-26/724 Dated : 09.01.2026

**E Tender no. 08/09-01-2026**

NIB No. GHU2526A0061

Following Bids at Member Secretary, R.M.R.S., Maharana Bhupal Govt. Hospital, Udaipur are invited from interested bidder.

S.No.	Tender name	UBN NO.
1.	IOT-Based wheel chair management & Anti theft system	GHU2526GSOB00090
2	NABH मान्यता परामर्श सेवाओं के प्रस्ताव हेतु	GHU2526WSRC00091
3	Installation of cloud server.	GHU2526GSRC00092
4	Rate contract of Hb Variant Multi pack reagents	GHU2526GCRC00093
5	Tender for hand tube sealer and table top tube sealer	GHU2526GSOB00094
6	Photo copier Kiyosk sanchalan work	GHU2526WSRC00095

Other particular of the bid may be visited on the procurement portal http://eproc.rajjasthan.gov.in, http://sppp.rajjasthan.gov.in of the state.

**Member Secretary, Rajasthan Medicare**  
Relief Society M.B.G.H., Udaipur

DIPR/C/786/2026

<